सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई / 246 मार्च 06, 2024

ऋण गारंटी योजना - I

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी सहकारी बैंक और चुनिन्दा वित्तीय संस्थाएं

परिपत्र सं.239/2023-24

महोदया/प्रिय महोदय,

ओडिशा क्रेडिट गारंटी योजना (ओसीजीएस) / स्वतंत्र युवा उद्‌यमी (स्वयं)

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीजीटीएमएसई ने ओडिशा राज्य सरकार के सहयोग से ओडिशा राज्य में स्थित एमएसई के लिए एक विशेष क्रेडिट गारंटी योजना "ओडिशा क्रेडिट गारंटी स्कीम (ओसीजीएस)/स्वतंत्र युवा उद्यमी (स्वयं)" शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गारंटी कवरेज का 85% सीजीटीएमएसई द्वारा प्रदान किया जाएगा जैसा कि अब तक किया जा रहा है और शेष 15% कवरेज एमएलआई द्वारा प्रदान किए गए 95,000/- रुपये तक के ऋणों के लिए ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे समग्र गारंटी कवरेज 100% हो जाएगा। बढ़ी हुई गारंटी कवरेज क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के 15% के एनपीए स्तर तक उपलब्ध होगी (पोर्टफोलियो को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को क्रिस्टलीकृत किया जाएगा)। यदि एनपीए स्तर क्रिस्टलीकृत पोर्टफोलियो के 15% की उपर्युक्त सीमा से अधिक है, तो दावों का निपटान सीजीटीएमएसई की सामान्य क्रेडिट गारंटी योजना की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक गारंटी शुल्क की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

यह योजना 01 मार्च, 2024 से प्रभावी है और योजना की वैधता तक लागू रहेगी। सभी मौजूदा एमएलआई (एनबीएफसी और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) ओसीजीएस/स्वयं के तहत पात्र होंगे। 100% गारंटी कवरेज के अलावा, क्रेडिट गारंटी योजना-I (बैंकों के लिए) के अन्य सभी नियम और शर्तें, ओसीजीएस/स्वयं के तहत उन पर यथावत लागू होंगी।

यह पहल ओडिशा राज्य में एमएसई को वित्तीय सहायता की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करेगी। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि ओसीजी/स्वयं को लोकप्रिय बनाएँ और यह सुनिश्चित करें कि योजना का लाभ सबको उचित रूप से मिले ।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को ओडिशा राज्य में स्थित अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

भवदीय,

ह/-

(धीरज कुमार)
उप महाप्रबंधक

सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (भारत सरकार एवं सिदबी द्‌वारा स्थापित)
सिडबी एमएसएमइ विकास केंद्र, 7 वी मंजिल, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा (पू.), मुंबई- 400 051
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (Set up by Government of India & SIDBI)
1st Floor, SIDBI Swavalamban Bhavan, Avenue 3, Lane 2, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.
☎ 022-6722 1553 | ✆ 1800 222 659| **www.cgtmse.in|**
@CGTMSEOfficial @CGTMSEOfficial